FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Chhattisgarh

Office of the District Collector - Bijapur

No. 925

Dated .6.1.5.7.2.017

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Minstry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidlines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forst land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 3.996 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Kendriya Vidyalaya Samiti Bijapur (C.G) (Name if user agency) for Kendriya Vidyalaya Bijapur (Purpose for diversion of forest land) in Bijapur district fails within jurisdiction of Kottapal village(s) in Bijapur tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for indentification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3.996 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Commiettee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure to annexure
- (b) the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) the each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/ process under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measure, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of Kottapal village(s) is enclosed as annexure........ to annexure........
- (d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (f) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl.: As above.

(Dr. Ayyaj Tamboli) Collector

District Bijapur (C.G.)

वन अधिकारों की मान्यता के अंतर्गत गठित अनुविभाग स्तर की समिति की बैठक का —:: कार्यवाही विवरण ::—

यूजर ऐजेन्सी जिला शिक्षा अधिकारी बीजापुर द्वारा राजस्व वन भूमि खसरा नम्बर 197 रकबा 3.996 है. पर केन्द्रीय विद्यालय स्थापना करने का प्रस्ताव है। अतः केन्द्रीय विद्यालय स्थापना करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् वन भूमि के प्रत्यावर्तन की स्वीकृति प्रस्तावित है। इस संबंध मे अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 संशोधित नियम 2012) की धारा 6 (3) के प्रावधान के अंतर्गत गठित एवं प्रदत्त कर्तव्यों/अधिकारों के निर्वहन में नियम 2008 में नियम 6 एवं 14 में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अंतर्गत अनुविभाग स्तर की समिति की बैठक दिनांक 15/05/2017 को आयोजित की गई, जिसमें निम्नानुसार अधिकारी उपस्थित रहें:—

- 1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बीजापुर
- 2. अनुविभागीय अधिकारी (वन) बीजापुर
- 3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बीजापुर
- 4. अध्यक्ष जनपद पंचायत बीजापुर
- 5. सदस्य जनपद पंचायत बीजापुर

वन भूमि पर वन अधिकारों के अधिभोग के संबंध में बीजापुर जिले के ग्राम कोतापाल, राजस्व निरीक्षक मंडल बीजापुर तहसील एवं जिला बीजापुर से प्राप्त प्रस्ताव का अनुविभाग स्तरीय समिति के परीक्षण उपरांत पाया गया कि प्रस्तावित भूमि में वन अधिकार अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व सामुदायिक दावे हेतु मान्यता प्रमाण पत्र का वितरण नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त प्रस्तावित भूमि पर केन्द्रीय विद्यालय (कोतापाल) के निर्माण के लिए खसरा न. 197 रकबा 3.996 हेक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन नियमानुसार करने हेतु प्रस्ताव को सर्व सम्मति से पारित कर जिला स्तरीय वन अधिकार समिति का मूलतः प्रकरण प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बीजापुर अनुविभागीय अधिकारी (वन) बीजापुर

मुख्य कार्यपालम् अधिकारी जनपद पंचायत बीजापुर

अध्यक्ष जनपद पंचायत बीजापुर

सदस्य जन्मू पंचायत

केन्द्रीय विद्यालय समिति बीजापुर को विद्यालय स्थापित करने हेतु बीजापुर जिला में बीजापुर वनमण्डल के ग्राम कोतापाल के वन भूमि व्यपवर्तन हेतु खसरा नं0 197 में रकबा 3.996 हेक्टेयर वन भूमि के प्रकरण में अनुसचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन।

1. प्रमाणित किया जाता है कि, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है, तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि खसरा नं0 197 में रकबा 3.996 हेक्टेयर है, तथा ग्राम कोतापाल तहसील बीजापुर में स्थित है, में तद्नुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 15/04/2017 (प्रदर्श—''अ'') एवं वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त जॉच प्रतिवेदन (प्रदर्श—''ब'') पर दर्शित है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि, एक्ट प्रकरण का प्रस्ताव ग्राम पंचायत बोरजे के सरपंच श्री/श्रीमती रमेश यालम की अध्यक्ष्ता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 15/04/2017 में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें दिनांक सिहत) एवं इसमें80........ प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन सिमित के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के क्रियान्यन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गई। यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नहीं है।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:--

क्रमांक	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हेक्टेयर में)
18	निरंक	निरंक	निरंक

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिए गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।

4. यह प्रमाणित किया जात है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 15.04.2017 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.जी.टी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिनका अधिकारी "अनुसूचित जन जाति एवं परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006" की धारा 3(1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखा है ।



5. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक 15/04/2017 में संकल्पो के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम—2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार। दिनांक 6/5/2017

नाम अध्यक्ष-जिला वन अधिकार समिति जिला करोक्टर (सील)